D:\Store Files 2014-15\Letters 2014-15\2014 Letter.docx882

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक–एफ.6( )स्टोर/बैज/ICDS/2017–18/ जयपुर, दिनांकः

समस्त उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
———————————।

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज की राशि उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पूर्व में दिये डिजाईन व मैटल के अनुसार मेटेलिक नेम बैज उपलब्ध कराये जाने है। बैज हेतु प्रत्येक आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए 25/– प्रति बैज के नॉर्म्स निर्धारित है। आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रत्येक कार्यरत आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका प्रत्येक को बैज उपलब्ध कराने हेतु प्रति बैज 25/– के हिसाब से जिलेवार बजट आवंटित किया जा रहा है।
2. बैज क्रय हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) के प्रावधानानुसार समुचित निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए उपापन की कार्यवाही करें।
3. आपके जिले में कार्यरत समस्त आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका को निर्देशित करे कि वे आंगनबाडी केन्द्र पर केन्द्र संचालन के दौरान बैज का उपयोग यूनिफॉर्म के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।
4. आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध करानें के पश्चात् **संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31–12–2017 तक** निदेशालय में आवश्यक रूप से प्रेषित करें। यदि आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ बैज में केन्द्र का संचालन नहीं करती पाई जाती है, तो इस हेतु संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(शुचि शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एफ.6( )स्टोर/बैज/ICDS/2017–18/ 11650-812 जयपुर, दिनांकः 28/7/2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार समस्त कार्यरत आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए बैज क्रय हेतु राशि रूपये 25/– (प्रति बैज प्रति आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता व सहायिका) के हिसाब से संबंधित उप निदेशक, मबावि को बजट आवंटन कराने का श्रम करें।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी ....
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

28.7.17
(रामावतार मीना)
प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ....

क्रमांकः दिनांकः

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर के पत्रांकः एफ.6(731)स्टोर/बैज/आईसीडीएस/2017–18/ दिनांक के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए बैज क्रय हेतु 25/– प्रति बैज की दर से राशि प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त राशि के सन्दर्भ में सभी कार्यरत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को **बैज क्रय कर उपलब्ध करा दिये गये है। तथा यूनिफॉर्म के साथ में बैज का उपयोग करते हुए केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।** अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त राशि का उपयोग निम्नानुसार कर लिया गया हैः–

क्र. सं.	लाभार्थियों (कार्यरत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं) की संख्या	प्राप्त बजट राशि (₹)	लाभार्थियों (कार्यरत आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं) को उपलब्ध कराये गये बैजों की संख्या	लाभार्थियों हेतु क्रय किये गये बैजों की राशि (₹)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1					

उप निदेशक,
महिला बाल एवं बाल विकास विभाग,
..

वित्तीय वर्ष 2017–18 में आईसीडीएस योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के बैज क्रय हेतु (25रू. प्रति बैज) जिला कार्यालयों को आवंटित की जाने वाली राशि का विवरण (राशि रू. में)

क. सं.	नाम जिला	आंगनबाडी कार्यकर्ता	आंगनबाडी सहायिका	मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता	कुल योग	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	TSP					
1	बांसवाडा	1902	1874	132	3908	97700
2	डूंगरपुर	1568	1569	465	3602	90050
3	प्रतापगढ	922	916	120	1958	48950
4	सिरोही	122	121	16	259	6475
5	उदयपुर	1778	1777	227	3782	94550
	योग (अ):–	**6292**	**6257**	**960**	**13509**	337725
	Non TSP					
1	अजमेर	1688	1661	198	3547	88675
2	अलवर	3093	3015	202	6310	157750
3	बांरा	1339	1318	202	2859	71475
4	बाडमेर	2793	2801	387	5981	149525
5	भरतपुर	1762	1694	118	3574	89350
6	भीलवाडा	1876	1855	234	3965	99125
7	बीकानेर	1234	1166	126	2526	63150
8	बूंदी	990	954	185	2129	53225
9	चित्तौडगढ	1379	1357	351	3087	77175
10	चुरू	1519	1499	104	3122	78050
11	दौसा	1302	1285	7	2594	64850
12	धौलपुर	891	912	82	1885	47125
13	श्रीगंगानगर	1719	1680	141	3540	88500
14	हनुमानगढ	1134	1114	78	2326	58150
15	जयपुर	3930	3883	194	8007	200175
16	जैसलमेर	596	598	107	1301	32525
17	जालौर	1326	1264	280	2870	71750
18	झालावाड	1280	1253	191	2724	68100
19	झुंझुंनू	1528	1517	24	3069	76725
20	जोधपुर	2192	2139	235	4566	114150
21	करौली	1143	1127	97	2367	59175
22	कोटा	1088	1086	143	2317	57925
23	नागौर	2637	2577	146	5360	134000
24	पाली	1617	1597	119	3333	83325
25	प्रतापगढ	132	132	19	283	7075
26	राजसमंद	1003	973	103	2079	51975
27	सवाई माधोपुर	972	921	85	1978	49450
28	सीकर	2004	1966	87	4057	101425
29	सिरोही	649	635	22	1306	32650
30	टोंक	1186	1174	238	2598	64950
31	उदयपुर	863	866	121	1850	46250
	योग (ब):–	46865	46019	4626	97510	2437750
	महायोग(अ+ब):–	**53157**	**52276**	**5586**	**111019**	**2775475**

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
आई. सी. डी. एस.
राजस्थान, जयपुर